

संख्या-२५०७ / ६०-१-०८-१ / १३(९) / ०८

२२७।

ADM(P/M) 2. RC

प्रेषक,

आर०एस० वर्मा,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मण्डलायुक्त— मेरठ, फैजाबाद, गोरखपुर एवं लखनऊ।  
जिलाधिकारी— गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, सुल्तानपुर, गोरखपुर,  
सीतापुर एवं रायबरेली।

जिलाधिकारी  
सीतापुर

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-३

लखनऊ:: दिनांक: २३ जून, 2008

विषय:- ई० गवर्नेंस योजनान्तर्गत प्रदेश के ०६ जनपदों—गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, सुल्तानपुर, गोरखपुर, सीतापुर एवं रायबरेली में पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की राष्ट्रीय ई—गवर्नेंस योजना राष्ट्रीय स्तर पर ई—गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी पहल है। यह योजना भारत सरकार की अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य आई०सी०टी० का प्रयोग कर गुणवत्ता में सुधार लाना तथा सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक प्रभावी रूप से सुलभ कराना एवं व्यवसायिक प्रयोग करना है।

2. पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला को मासिक पेंशन के रूप में ३००/- प्रतिमाह की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए महिला कल्याण विभाग द्वारा पेंशन योजना संचालित है। ऐसी महिला, जो गरीबी की रेखा के नीचे है और उसके पति की मृत्यु हो गई है, जिसके बच्चे नाबालिग हैं और यदि लड़का या लड़के का लड़का न्यूनतम २० वर्ष की आयु का न हो अथवा यदि है तो बालिग होने के बावजूद सम्बन्धित महिला का भरण—पोषण करने में असमर्थ है, अथवा नहीं करता है एवं यदि किसी निराश्रित महिला का स्वयं का मकान है तो भी वह पेंशन पाने की पात्र होगी।

ई-गवर्नेंस योजना के अन्तर्गत ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना में पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना को भी आच्छादित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशनरों को कामन सर्विस सेन्टर के माध्यम से एवं नगरीय क्षेत्रों में कामन सर्विस सेन्टर एवं लोक वाणी सुविधा केन्द्रों के माध्यम से आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जायेगा। इस हेतु ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में अपनाये जाने वाली प्रक्रिया निम्नवत् होगी :—

#### ग्रामीण क्षेत्र आवेदन :—

- (1) सर्वप्रथम आवेदक सामान्य सेवा केन्द्र (सी०एस०सी०) में जाकर पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र भरेगा। उसमें अपनी आयु, परिवार का विवरण एवं अपना वी०पी०एल० क्रमांक दर्ज करेगा।
- (2) सामान्य सेवा केन्द्र (सी०एस०सी०) का आपरेटर आवेदक के भरे हुए आवेदन पत्र को ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन में प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात् उसे रसीद देगा।
- (3) खण्ड विकास अधिकारी ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन में लाग-इन करेगा तथा आवेदन पत्र को आन-लाइन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को जाँच हेतु निर्देशित करेगा।
- (4) ग्राम पंचायत विकास अधिकारी आवेदन पत्रों को पंचायत की खुली बैठक में रखेगा तथा पंचायत के प्रस्ताव के साथ ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन में अपलोड करेगा।
- (5) खण्ड विकास अधिकारी संकलित रूप से सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों से आन-लाइन प्राप्त पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन के आवेदन पत्रों को जाँचोपरान्त जिला प्रोबेशन अधिकारी को ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन से आन-लाइन प्रेषित करेगा।
- (6) जिला प्रोबेशन अधिकारी लाभार्थियों को ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन पर अद्यावधिक करेगा तथा पेंशन की वितरण की प्रक्रिया का आरम्भ करेगा।

#### नगर क्षेत्र आवेदन :—

- (1) आवेदक सी०एस०सी० एवं लोक वाणी सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन द्वारा आन-लाइन आवेदन पत्र उप जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेक्ट को

प्रेषित करेगा, जिसमें उसकी आयु, परिवार का विवरण एवं बी०पी०एल० क्रमांक भी लिखा होगा।

- (2) उप जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन को लाग-इन करेगा तथा पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन के आवेदन पत्रों को तहसीलदार को जॉच हेतु आन-लाइन प्रेषित करेगा।
- (3) तहसीलदार, कानूनगो/लेखपाल को आवेदन पत्र जॉच हेतु आन-लाइन नामित करेगा।
- (4) कानूनगो/लेखपाल द्वारा जॉच कर आन-लाईन उक्त आवेदन पत्रों को तहसीलदार को भेजा जायेगा।
- (5) तहसीलदार उक्त आवेदन पत्रों को दैनिक आधार पर अपनी आख्या सहित आन-लाइन उपजिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट को भेजेगा।
- (6) उप जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट आवेदन पत्रों के परीक्षण के पश्चात् अपनी स्वीकृति अंकित करते हुए आन-लाइन उन्हें जिला प्रोवेशन अधिकारी को भेजेगा।
- (7) जिला प्रोवेशन अधिकारी पेंशनरों की सूची को ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन पर अद्यावधिक करेगा एवं पेंशन वितरण की प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा।

भवदीय,

आर०एस० चर्मा,  
सचिव।

संख्या-(1) / 60-1-08, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1— जिला प्रोबेशन अधिकारी गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, सुल्तानपुर, गोरखपुर, सीतापुर एवं रायबरेली, को इस आशय से प्रेषित कि वे शासनादेश की व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
- 2— उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी मेरठ, फैजाबाद, गोरखपुर एवं लखनऊ।

आज्ञा से,  
(अजित कुमार साहू )  
संयुक्त सचिव।